स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Association of CONFEDERATION OF NGOs OF RURAL INDIA Civil Society World's Largest
CNRI
C N R I

नई दिल्ली | 29 अक्टूबर 2026

Ref:VIP/Admin/1023-SG

OPEN LETTER -खुला पत्र

रामलीला मैदान में SIR विरोध-प्रदर्शन: वे प्रश्न जिनका उत्तर पाना राष्ट्र का अधिकार है

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ एनजीओज़ ऑफ़ रूरल इंडिया (CNRI) की ओर से विपक्ष के नेताओं, प्रदर्शनकारियों और भारतीय उद्योग जगत के नाम एक खुला पत्र

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरुद्ध हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में राजनीतिक जवाबदेही, पारदर्शिता और बाहरी प्रभाव से जुड़ी चिंताओं पर

संस्थाओं की गरिमा बनाए रखें। राष्ट्र को जानकारी दें, भड़काएँ नहीं।



दिल्ली के प्रत्येक नागरिक, रामलीला मैदान की ओर जा रहे प्रत्येक कार्यकर्ता और गाँवों से घटनाक्रम देख रहे प्रत्येक परिवार से एक निवेदन:

- **फ़ॉरवर्ड करने से पहले सत्यापन करें।** ऐसा कोई वीडियो, आँकड़ा या दावा साझा न करें जिसके स्रोत का पता आप न लगा सकें।
- **छोटे व्यापारी, मरीज़ और दिहाड़ी मज़दूर की रक्षा करें।** उनका त्योहारी सप्ताह भी हमारे लोकतंत्र का ही हिस्सा है।

सेवा में,
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष, राज्य सभा
श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोक सभा
INDIA गठबंधन के सभी घटक दलों के माननीय नेतागण



National Secretariat: Thapar house, 3rd floor, Gate No.1, Eastern and Central Wing, 124 Janpath Lane, JANPATH, New Delhi-110001| Ph.: +91-11-23486830

फिक्की (FICCI), एसोचैम (ASSOCHAM), पीएचडीसीसीआई (PHDCCI) और सीआईआई (CII) के अध्यक्षगण तथा भारत के औद्योगिक घरानों के प्रमुख

विषय: भारत निर्वाचन आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने तथा राष्ट्र को भ्रमित न करने हेतु नागरिक समाज की अपील

आदरणीय नेतागण,

हम भारी मन, गहरी चिंता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की प्रबल भावना के साथ यह पत्र लिख रहे हैं। पिछले दो दशकों से कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ एनजीओज़ ऑफ़ रूरल इंडिया (CNRI), जो 7,000 से अधिक ज़मीनी संगठनों का नेटवर्क है, ग्रामीण भारत के लोगों और प्रत्येक गाँव में बसने वाली लोकतांत्रिक भावना के साथ खड़ा रहा है: ग्राम सभा में, सहकारी समिति में और मतदान केंद्र पर। हमने उन साधारण नागरिकों का परिश्रम, त्याग और आशा देखी है जिन्होंने अपने पसीने और संविधान में अटूट आस्था से इस लोकतंत्र का निर्माण किया है।

इसलिए यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत की विरोध-राजनीति को अब विदेश-स्थित राजनीतिक नेटवर्कों द्वारा प्रचारित एक व्यापक विमर्श का हिस्सा बनाया जा रहा है। प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल ने भारत के विरोध-प्रदर्शनों को फ़्रांस, स्पेन और अल्बानिया के प्रदर्शनों के साथ अपने तथाकथित "न्यू रिबेलियन्स" (नए विद्रोह) का हिस्सा बताया है और कहा है कि वह इन आंदोलनों को समर्थन देने तथा उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है।[2] दो दशकों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ज़मीनी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज संगठन के रूप में हमारा मानना है कि ऐसे वक्तव्यों की सावधानीपूर्वक सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक है।

इन आंदोलनों को कौन जोड़ रहा है, और किस उद्देश्य से? यह कार्य कितनी पारदर्शिता से हो रहा है? वैध अंतरराष्ट्रीय एकजुटता कब संगठित बाहरी हस्तक्षेप में बदल जाती है? कोई भी लोकतंत्र इन प्रश्नों को अनुत्तरित नहीं छोड़ सकता।

हम आपके विरोधी के रूप में नहीं लिख रहे हैं। सशक्त विपक्ष जीवंत लोकतंत्र की प्राणवायु है, और प्रश्न पूछने, विरोध करने तथा एकत्र होने का आपका अधिकार हमारे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना आपके लिए। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भारत की जनता, जिसकी हम सेवा करते हैं और जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सबको देख रही है: भोर में सहकारी संग्रह केंद्र पर दूध देने वाली महिला, अपनी उपज के तौले जाने की प्रतीक्षा करता किसान, और अच्छे त्योहारी सप्ताह की आस लगाए रेहड़ी-पटरी वाला।

वे सीधे-सादे प्रश्न पूछ रहे हैं।

> **भारत के विरोध-प्रदर्शनों को कौन जोड़ रहा है? इन प्रयासों को धन या सहायता कौन दे रहा है? और क्या विदेश-स्थित राजनीतिक नेटवर्क भारत की लोकतांत्रिक असहमति को एक ऐसी व्यापक वैचारिक परियोजना में बदल रहे हैं जो भारतीय जनता के प्रति जवाबदेही से परे है?**

National Secretariat: Thapar house, 3rd floor, Gate No.1, Eastern and Central Wing, 124 Janpath Lane, JANPATH, New Delhi-110001 | PH.: +91-11-23486830

गाँवों ने क्या देखा है

नागरिक अपने नेताओं को इस बात से परखते हैं कि उनके द्वार तक क्या पहुँचता है। हाल के वर्षों में भारत के गाँवों ने ऐसे परिवर्तन देखे हैं जिन्होंने उनके जीवन और स्वाभिमान, दोनों को छुआ है।

अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रदर्शित संकल्प तक, राष्ट्र ने ऐसे क्षण देखे हैं जिन्होंने उसकी एकता, सुरक्षा और उद्देश्य की भावना को सुदृढ़ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंच प्रण के माध्यम से प्रस्तुत विकसित भारत 2047 का विज़न प्रत्येक भारतीय से औपनिवेशिक मानसिकता त्यागने, अपनी सभ्यतागत विरासत पर गर्व करने, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान करता है।

परंतु इस परिवर्तन का वास्तविक अर्थ एक साधारण भारतीय के जीवन में निहित है: वह किसान जो धरती जोतता है पर अपनी उपज के भंडारण के लिए संघर्ष करता है, वह ग्रामीण महिला जो उद्यमी बनने का सपना देखती है, और वह ग्रामीण परिवार जिसने पीढ़ियों तक गरिमा, अवसर और सुरक्षा की प्रतीक्षा की है।

वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन ने भारत के सहकारी आंदोलन को केंद्र सरकार में एक समर्पित स्थान दिया, जिससे 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियों और उनके करोड़ों सदस्यों के लिए नई संभावनाएँ खुलीं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कंप्यूटरीकरण, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में आधुनिक अनाज भंडारण गोदाम बनाने की योजना एक गहरा मानवीय वादा लिए हुए है: कि किसी भी किसान को केवल इसलिए अपनी फ़सल मजबूरी में न बेचनी पड़े क्योंकि उसके पास उसे रखने की जगह नहीं है। गाँव का गोदाम केवल ईंट और कंक्रीट का ढाँचा नहीं है; यह आशा, आर्थिक गरिमा और अपनी उपज का मूल्य स्वयं तय करने के किसान के अधिकार का प्रतीक है।

SATAT और गोबरधन के माध्यम से गोबर, फ़सल अवशेष और ग्रामीण कचरा स्वच्छ ऊर्जा और अतिरिक्त ग्रामीण आय के स्रोत बन रहे हैं। पीएम-किसान के अंतर्गत आय सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुँचती है, जबकि स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमी, नवप्रवर्तक और नेतृत्वकर्ता बनने के नए द्वार खोल रहे हैं। जन धन ने बैंकिंग तक पहुँच का विस्तार किया है, और जल जीवन मिशन ने ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुँचाने का प्रयास किया है।

विकसित भारत का सच्चा मापदंड केवल उसकी गगनचुंबी इमारतों की ऊँचाई नहीं होगा, बल्कि उस किसान की गरिमा होगी जिसका अनाज सुरक्षित है, उस महिला का आत्मविश्वास होगा जो अपना उद्यम खड़ा करती है, और उस बच्चे की आँखों की आशा होगी जो जानता है कि भविष्य उसका भी है। यही विकसित भारत 2047 का वादा है: एक ऐसा भारत जिसमें अंतिम किसान, अंतिम गाँव और अंतिम नागरिक गर्व के साथ यह अनुभव कर सके कि राष्ट्र की प्रगति उसकी अपनी प्रगति है।

हम इनका उल्लेख राजनीतिक अंक बटोरने के लिए नहीं, बल्कि यह रेखांकित करने के लिए कर रहे हैं कि गाँव भारत की प्रगति में सहभागी है, दर्शक नहीं। उसे अपने भविष्य पर बहस चाहिए, हमारी संस्थाओं पर संघर्ष नहीं।

National Secretariat: Thapar house, 3rd floor, Gate No.1, Eastern and Central Wing, 124 Janpath Lane, JANPATH, New Delhi, 110001, Ph.: +91-11-23486830

उन संस्थाओं को कमज़ोर न करें जो हम सबकी हैं

भारत निर्वाचन आयोग किसी सरकार की संपत्ति नहीं है; यह भारतीयों की हर पीढ़ी की विरासत है। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण संविधान के अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत किया जाता है। ग़लत ढंग से छूट गए प्रत्येक पात्र नागरिक को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को 1950 के अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत वैधानिक अपील का अधिकार प्राप्त है; इसके अतिरिक्त संवैधानिक न्यायालयों के द्वार भी खुले हैं।

अनुच्छेद 324(5) के परंतुक के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में "सार्वजनिक महाभियोग" का कोई स्थान नहीं है। जो आज विपक्ष में हैं, वे कल सरकार बना सकते हैं; आज जिस संस्था को कमज़ोर किया जा रहा है, कल उसी की आवश्यकता हर दल को होगी।

हम सम्मानपूर्वक पूछते हैं: अक्टूबर ने जनता को क्या दिया?

आंदोलन के आगे बढ़ने से पहले, हम विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष वे प्रश्न रखते हैं जो दिल्ली और ग्रामीण भारत की जनता पिछले एक महीने के बारे में पूछ रही है:

1. **इस व्यवधान से किसका हित सधा?** पूरे अक्टूबर में राजधानी के हृदय में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद मेट्रो स्टेशन बंद हुए, इंटरनेट सेवाएँ निलंबित हुईं, सड़कें अवरुद्ध हुईं और हज़ारों लोग हिरासत में लिए गए। दिहाड़ी मज़दूर की मज़दूरी गई, दुकानदार के ग्राहक गए और मरीज़ के बहुमूल्य घंटे गए। आम नागरिक को क्या मिला?

2. **क़ानून का मार्ग क्यों नहीं, सड़क का क्यों?** क़ानून ग़लत ढंग से हटाए गए प्रत्येक मतदाता के लिए दावे, आपत्ति और अपील का प्रावधान करता है। मामले को सड़क पर ले जाने से पहले दलीय कार्यकर्ताओं ने बूथ-दर-बूथ ऐसे कितने दावे दाखिल करने में नागरिकों की सहायता की?

3. **किसान का एजेंडा कहाँ गया?** लाभकारी मूल्य, ग्रामीण ऋण और युवाओं का रोज़गार गाँव की वास्तविक चिंताएँ हैं। एक संवैधानिक प्राधिकरण के विरुद्ध अभियान के लिए इन्हें क्यों दरकिनार किया गया?

4. **संविधान से बाहर निर्णय क्यों?** मुख्य निर्वाचन आयुक्त के "सार्वजनिक महाभियोग" का कोई संवैधानिक आधार नहीं है; यह केवल युवा नागरिकों के मन में संदेह के बीज बोता है। यह उस संवैधानिक नैतिकता के विपरीत है जिसकी डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इतनी प्रखरता से वकालत की थी। इससे युवा मतदाता को विधि के शासन के प्रति सम्मान का क्या संदेश जाता है?

National Secretariat: Thapar house, 3rd floor, Gate No.1, Eastern and Central Wing, 124 Janpath Lane, JANPATH, New Delhi-110001| Ph.: +91-11-23486830

आगामी दिनों के लिए घोषित कदमों पर हमारी दृढ़ आपत्ति

1. **रैली रोके जाने पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के आवासों के बाहर धरना देने की धमकी।** संवैधानिक पदाधिकारियों के आवास विरोध-स्थल नहीं हैं; ऐसा कदम लोकतांत्रिक असहमति को टकराव में बदल देगा।

2. **मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने तक चैन से न बैठने का संकल्प।** अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत पद से हटाना संसद का विषय है, सड़क का नहीं। इस संकल्प पर आधारित अभियान राजधानी को स्थायी आंदोलन की स्थिति में बनाए रखेगा।

3. **रामलीला मैदान से आगे कोई भी मार्च, रात्रि-प्रवास, या कार्यक्रम को निर्धारित शर्तों से आगे खींचने का कोई भी प्रयास।** ऐसे कृत्य निर्धारित विरोध-स्थलों के उस मूल सिद्धांत को ही विफल कर देंगे जो प्रदर्शनकारी और नागरिक, दोनों की रक्षा करता है।

4. **त्योहारी मौसम में रैलियों की कोई और शृंखला।** भारत की जनता को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज शांति से मनाने का अधिकार है।

व्यथित लोग कहाँ हैं?

हमें उन पेशेवर कार्यकर्ताओं से भी स्पष्ट बात करनी होगी जो व्यथित मतदाता की ओर से बोलने का दावा करते हैं। जिन गाँवों में CNRI के सदस्य संगठन प्रतिदिन काम करते हैं, वहाँ हमें वह आक्रोश नहीं मिला जो दिल्ली के स्टूडियो और मंचों से प्रक्षेपित किया जा रहा है। परिवारों ने कतार में खड़े होकर अपने प्रपत्र भरे और बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) के साथ सहयोग किया, क्योंकि वे SIR को अपनी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग को एक समावेशी संस्था मानते हैं जो उनके द्वार तक आई। जहाँ किसी का नाम ग़लत ढंग से छूट गया, वहाँ समाधान दावा-प्रपत्र था, रैली नहीं। जब वही लोग किसी आंदोलन के साथ खड़े न हों जिनकी ओर से वह बोलने का दावा करता है, तो उस आंदोलन को स्वयं से पूछना चाहिए कि वह वास्तव में किसकी आवाज़ उठा रहा है।

आइए, मुक़ाबले को गाँव और प्रखंड तक ले चलें

हम हाथ जोड़कर आपसे अपील करते हैं: आइए, अपनी ऊर्जा वहाँ लगाएँ जहाँ भारत बसता है। अपना संदेश हर गाँव और हर प्रखंड तक ले जाएँ। पंचायत स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त करें। उस चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से पूरी शक्ति से मुक़ाबला करें जो संविधान प्रत्येक दल को समान रूप से प्रदान करता है। मतपत्र वह सबसे सशक्त साधन है जो किसी लोकतंत्र ने अपनी जनता को दिया है, और गाँव जानता है कि उसका उपयोग कैसे करना है।

राजधानी में रैलियाँ प्रभावशाली दृश्य अवश्य दे सकती हैं: झंडों का सागर, कैमरों की दीवार, एक दिन का ट्रेंडिंग हैशटैग। परंतु दृश्य विश्वास नहीं होते। दिल्ली के मंचों पर बिताया गया हर घंटा मतदाता के आँगन से दूर बिताया गया घंटा है, उस मतदाता से जो रैली देखकर नहीं, बल्कि यह परखकर चुनाव का फ़ैसला करता है कि ज़रूरत की घड़ी में उसके साथ कौन खड़ा था।

National Secretariat: Thapar house, 3rd floor, Gate No.1, Eastern and Central Wing, 124 Janpath Lane, JANPATH, New Delhi-110001 | Ph.: +91-11-23486830

छोटे श्रमिक और किसान की रक्षा करें

कई सप्ताहों से राजधानी में बार-बार होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और व्यवधानों ने उन्हीं लोगों को सबसे अधिक आघात पहुँचाया है जो इसका बोझ सबसे कम उठा सकते हैं: वह दिहाड़ी मज़दूर जिसकी एक दिन की कमाई चली गई, वह छोटा व्यापारी जिसकी दुकान के शटर बंद रहे, वह मरीज़ जो अस्पताल नहीं पहुँच सका, और वह किसान जिसके मुद्दे की चर्चा तो हुई पर सेवा नहीं। CNRI का सदैव यह मत रहा है कि बड़े जमावड़े रामलीला मैदान जैसे निर्धारित स्थलों पर ही होने चाहिए, और हम वहाँ एकत्र होने के आपके अधिकार का सम्मान करते हैं। फिर भी हमारा अनुरोध है कि इस रैली को त्योहारी मौसम के बाद की किसी तिथि पर पुनर्निर्धारित किया जाए। यदि यह आयोजित होती है, तो यह शांतिपूर्ण रहे, अनुमति की शर्तों के अनुसार सायं 5 बजे तक समाप्त हो, और कोई भी मार्च संवैधानिक पदाधिकारियों के आवासों की ओर न बढ़े।

भारत के उद्योग जगत और औद्योगिक घरानों से अपील

इस पत्र के माध्यम से CNRI फिक्की, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई, सीआईआई और भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों से भी अपील करता है। आपने भारतीय उद्यम का निर्माण स्थिर शहरों, खुली सड़कों और आत्मविश्वासी बाज़ारों की नींव पर किया है। हमारा अनुरोध है कि आप अपने अधिकृत मंचों के माध्यम से भारत के शहरों को बाधित करने वाले बार-बार के विरोध-आह्वानों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएँ, और सभी दलों से संवाद तथा मतपत्र के माध्यम से अपने मतभेद सुलझाने का आग्रह करें।

हम आपको CNRI के नागरिक समाज सुदृढ़ता एवं राष्ट्रीय जागरूकता मिशन (CSRNAM) से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। आज प्रत्येक लोकतंत्र पर एक नई और काफ़ी हद तक अदृश्य शक्ति का प्रभाव है: एल्गोरिदमिक शासन, वह अदृश्य हाथ जो बिना कभी मतदाता का सामना किए यह तय करता है कि नागरिक क्या देखे, क्या वायरल हो और क्या दबा दिया जाए। CSRNAM के माध्यम से हम हर गाँव और कस्बे के नागरिकों को तथ्य और विमर्श में अंतर करने में सहायता करना चाहते हैं, तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश लगाए बिना प्लेटफ़ॉर्मों को जवाबदेह बनाना चाहते हैं। सीएसआर सहयोग, कर्मचारी स्वयंसेवा और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से आपकी साझेदारी नागरिकों को स्वयं वास्तविकता देखने और हमारे सार्वजनिक विमर्श को पुनः स्वस्थ बनाने में सहायक हो सकती है।

कॉकरोच जनता पार्टी के युवा साथियों से विशेष आह्वान

कॉकरोच जनता पार्टी की युवा बहनों और भाइयों: आपकी ऊर्जा भारत की ऊर्जा है, और आपके प्रश्न उत्तर के अधिकारी हैं। हम खुले हृदय से आपको CNRI जैसे नागरिक समाज संगठनों से हाथ मिलाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए, साथ मिलकर कूच करें, दिल्ली के बैरिकेडों की ओर नहीं, बल्कि भारत के गाँवों की ओर। आइए, किसानों, सहकारी सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठें और ग्राम स्वराज पर चर्चा करें, उस स्वशासी गाँव पर जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी और जिसे अनुच्छेद 40 तथा 73वें संविधान संशोधन ने हमारे गणराज्य का अंग बनाया।

National Secretariat: Thapar house, 3rd floor, Gate No.1, Eastern and Central Wing, 124 Janpath Lane, JANPATH, New Delhi-110001| Ph.: +91-11-23486830

राष्ट्र के समक्ष रखे गए पंच प्रण हमारा साझा दिशासूचक बनें: विकसित भारत के निर्माण का संकल्प; औपनिवेशिक मानसिकता के हर अंश से मुक्ति; अपनी विरासत पर गर्व; एकता और एकजुटता; और प्रत्येक नागरिक में कर्तव्य की भावना।

इनमें से कोई भी किसी एक दल का नहीं है। ये सभी भारत के युवाओं के हैं।

हम आपको CSRNAM के अंतर्गत "युवा सुदृढ़ता चैंपियन" (Youth Resilience Champions) बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। *अपने प्रश्न ग्राम सभा तक ले जाएँ, सहकारिता की शक्ति को समझें, और अपने साथी नागरिकों को दुष्प्रचार तथा एल्गोरिदमिक हेरफेर पहचानने में सहायता करें।* CNRI आपके साथ संयुक्त ग्राम संवादों की मेज़बानी के लिए तत्पर है, जहाँ युवा और ग्रामीण भारत मिलकर हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी आस्था को नवीकृत कर सकें।

हमारी समापन अपील

आदरणीय नेतागण, इतिहास याद रखेगा कि इस क्षण में हमने कैसा आचरण किया। वह यह दर्ज करे कि जब राष्ट्र चौराहे पर खड़ा था, तब उसके नेताओं ने सड़क के ऊपर गाँव को, बैरिकेड के ऊपर मतपत्र को, और संदेह के ऊपर संस्थाओं में आस्था को चुना। CNRI और इसके 7,000 से अधिक सदस्य संगठन उस मार्ग पर आपके साथ चलने के लिए तत्पर हैं।

सादर एवं ग्रामीण भारत की सेवा में,

बिनोद आनंद
महासचिव
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ एनजीओज़ ऑफ़ रूरल इंडिया (CNRI)
मीडिया संपर्क: cnrigreenworld@gmail.com

संदर्भ

1. वॉयस ऑफ़ रूरल इंडिया, "India Is Not Next: Why the Regime-Change Script Will Fail in Rural India", 20 अक्टूबर 2026: https://voiceofruralindia.com/analysis-india-not-next-regime-change-rural-india-cooperatives/
2. वॉयस ऑफ़ रूरल इंडिया, "The Choreography of Chaos: Part 1 (Barcelona connection)", 23 अक्टूबर 2026, प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल की 16 अक्टूबर 2026 की ब्रीफ़िंग को उद्धृत करते हुए: https://voiceofruralindia.com/choreography-of-chaos-europe-protests-2026/

यह खुला पत्र CNRI द्वारा एक नागरिक समाज संगठन के रूप में सार्वजनिक हित के विषय पर सद्भावनापूर्वक जारी किया गया है। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है और किसी भी व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध किसी अपराधपूर्ण आचरण का आरोप नहीं लगाता।

National Secretariat: Thapar house, 3rd floor, Gate No.1, Eastern and Central Wing, 124 Janpath Lane, JANPATH, New Delhi-110001| Ph.: +91-11-23486830